भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 53*

(दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियमावली, 2026

***53. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः**

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत कई मौजूदा प्रसारण दिशानिर्देशों को एक ही नियामक ढांचे में समेकित करने के लिए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियमावली, 2026 का प्रारूप जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रारूप नियमों में प्रस्तावित प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नियमावली को अंतिम रूप देने और उसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उद्योग द्वारा नए विनियामक ढांचे को अपनाए जाने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मध्य प्रदेश में उभरते डिजिटल मीडिया, स्थानीय प्रसारकों और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए इस नए ढांचे के अंतर्गत क्या विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में खराब डिजिटल कनेक्टिविटी और स्थानीय प्रसारण नेटवर्क की कमी की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ वहां नए सूचना केन्द्र और सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए इस नीति में विशेष प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 22.07.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 53* के भाग (क) से (च) के उत्तर में यथा संदर्भित विवरण

(क) से (च): सरकार ने नए अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 की रूपरेखा के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों को समेकित करने के लिए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इन नियमों में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को समाहित किया गया है:

क) भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश;

ख) भारत में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश;

ग) भारत में हेडेंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवाएं प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश;

घ) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश (चरण III);

ङ) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देश; तथा

च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं के प्रावधान संबंधी दिशा-निर्देश।

इन नियमों से, उद्योग जगत के पास अब एक एकीकृत और काफी सरल नियमावली उपलब्ध होगी। इन नियमों को टेलीविजन और रेडियो प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को बढ़ावा देते हुए मौजूदा व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इन मसौदा नियमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर प्रकाशित किया गया है तथा 27 जुलाई, 2026 तक हितधारकों से इनपुट, टिप्पणियां या सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

उद्योग द्वारा नए नियामक ढांचे को अपनाए जाने में सहायता प्रदान करने के लिए मसौदा नियमों में विद्यमान लाइसेंसों/अनुमतियों का नए प्राधिकरण ढ़ांचे में स्वैच्छिक अंतरण का

अथवा अंतरण होने तक विद्यमान लाइसेंसों/अनुमतियों को जारी रखने का प्रावधान किया गया है।

इन मसौदा नियमों में टेलीविजन एवं रेडियो सेवाओं, जिनमें सामुदायिक रेडियो सेवाएं भी शामिल हैं, की उपलब्धता को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में बेहतर बनाने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
